न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 314/17 (RCMS No.2017/00335) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

जगन्नाथी पुत्री मोरपाल पत्नि रामदयाल जाति माली निवासी खिलचीपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र देवपाल दत्तक पुत्र मोरपाल जाति माली निवासी रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. रामकन्या पत्नि मोरपाल जाति माली निवासी रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3. ग्राम पंचायत शेरपुर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शेरपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर दिनांक 25.11.14 एवं नामा0 सं0 336 दिनांक 24.07.86 वांके ग्राम रामसिंहपुरा तह0 स0मा0

उपस्थितिः—

1. श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल वकील अपीलान्ट
2. श्री कमलेश कुमार जैन वकील रैस्पो0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नि र्ण य **दिनांकः—27.09.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 25.11.2014 एवं नामान्तरकरण सं0 336 निर्णय दिनांक 24.07.1986 ग्राम रामपुरा तहसील सवाई माधोपुर के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि मौहरपाल के फौत होने पर मुताबिक रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 17.03.1986 के नामा0 सं0 336 वॉके ग्राम रामसिंहपुरा का नामान्तरकरण सरपंच ग्राम पंचायत शेरपुर के द्वारा दिनांक 24.07.86 को तस्दीक किया गया। इस आदेश के विरूद्ध जगन्नाथी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय की अपील पेश की थी कि विवादित नामा0 दर्ज करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का

अवसर नही दिया। मृतक मोहरपाल पुत्र कोरया अपीलान्ट के पिता व रैस्पो0 सं0 2 के पति थे। मोहरपाल के कोई लडका नही होने से रैस्पो0 रामस्वरूप ने अपने नाम गोदपत्र करा लिया। मृतक की अपीलान्टा पुत्री होने से 1/3 हिस्से की हकदार है। अतः नामा0 निरस्त कर अपीलान्ट के नाम दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। दानपत्र को निरस्त कराने हेतु अपीलन्ट का एक वाद पत्र न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क0ख0) सवाई माधोपुर से दिनांक 04.12.2013 को खारिज हो चुका है। इसलिये रजिस्टर्ड दान पत्र के संबंध में अपीलान्ट को किसी प्रकार की दादरसी नही दी गई है। अतः नामा0 को सही मानकर अपीलान्ट की अपील दिनांक 25.11.2014 को खारिज कर दी। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की कई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्टा मृतक मोहरपाल की पुत्री है तथा रामकन्या रैस्पो0 सं0 2 उनकी पत्नि है। मृतक मोहरपाल का कोई पुत्र नही है। मृतक ने अपने जीवन काल में रामस्वरूप को गोद लेकर अपना गोद पुत्र बना लिया था। गोद पुत्र के बाद मृतक से गलत रूप से रामस्वरूप ने अपने नाम दान पत्र करा लिया था। अपीलान्ट मृतक की कानूनी वारिस है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपीलान्ट का जन्म से ही हिस्सा है। मृतक मोहरपाल को पुस्तैनी आराजी को दान पत्र के जरिये स्थानान्तरित करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। अपीलान्ट ने दानपत्र को निरस्त कराने के लिये सिविल न्यायालय में दावा किया था, जो खारिज हो गया है उसकी अपील जिला न्यायाधीश स0मा0 के न्यायालय में पेश कर दी है जो विचाराधीन है। विवादित आराजी मृतक मोहरपाल के दादा गोरया के नाम दर्ज थी। चूँकि गोरया का पुत्र कोरया उसके जीवन काल में ही फौत हो गया था इसलिये विवादित आराजी गोरया के बाद मृतक मोहरपाल व उसके भाईयों के नाम दर्ज हुई थी। इसलिये उक्त आराजी पैत्रिक आराजी है जिसका दानपत्र नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजात के आधार पर निर्णय पारित नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही नही है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व नामा0 निरस्त किये जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 का तर्क है कि विवादित आराजी मोरपाल(मोहरपाल) के नाम दर्ज थी। मोरपाल ने रैस्पो0 सं0 1 रामस्वरूप को रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 17.03.86 को कराया था। दानपत्र के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। अपीलान्ट ने सिविल न्यायालय में दानपत्र निरस्त कराने के लिये दावा दायर किया था। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.12.2013 को दावा खारिज कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने जिला न्यायाधीश सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील पेश कर दी है। उनका यह भी तर्क है कि विवादित आराजी पर रैस्पो0 रामस्वरूप का ही कब्जा है। अपीलान्ट का कोई कब्जा कभी नही रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत् निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि नही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। नामा0 सं0 336 वॉके ग्राम रामसिंहपुरा रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर मौहरपाल के स्थान पर रामस्वरूप दत्तक पुत्र मोहरपाल के नाम दिनांक 24.07.86 को सरपंच ग्राम पंचायत शेरपुर द्वारा दर्ज किया गया। मौहरपाल की पुत्री जगन्नाथी ने उक्त आदेश के विरूद्ध उप जिला कलक्टर सवाई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

माधोपुर के न्यायालय में अपील पेश की थी, जो दिनांक 25.11.2014 को खारिज हो गयी। अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्टा मृतक मोहरपाल की पुत्री है तथा रामकन्या रैस्पो0 सं0 2 उनकी पत्नि है। मृतक मोहरपाल का कोई पुत्र नही है। मृतक ने अपने जीवन काल में रामस्वरूप को गोद लेकर अपना गोद पुत्र बना लिया था। पत्रावली के अवलोकन से यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलान्टा मृतक मोहरपाल की पुत्री है तथा रामकन्या रैस्पो0 सं0 2 उनकी पत्नि है। मृतक ने रामस्वरूप को दान पत्र किया है जिसके आधार पर नामा0 दर्ज हुआ है। अपीलान्ट विवादित आराजी को पैत्रिक आराजी बता रही है। यदि पैत्रिक आराजी है तो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपीलान्टा का भी जन्म से ही हिस्सा बनता है। अपीलान्ट ने खतौनी बन्दोवस्त सं0 2009 लगायत 2023 पेश की है जिसमें विवादित आराजी गोरया पुत्र वालकिशन के नाम दर्ज है, जो बाद में मोहरपाल काना पिस0 कोरया के नाम दर्ज हुई है। विवादित आराजी को पैत्रिक होने के संबंध में अपीलान्ट द्वारा समस्त रिकार्ड पेश नही किया है। पैत्रिक आराजी होने के संबंध में जॉच किया जाना आवश्यक है। यदि विवादित आराजी पैत्रिक आराजी साबित होती है तो मृतक मोहरपाल को पुस्तैनी आराजी को दान पत्र के जरिये स्थानान्तरित करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। अपीलान्ट का कथन है कि विवादित आराजी मृतक मोहरपाल के दादा गोरया के नाम दर्ज थी। चूँकि गोरया का पुत्र कोरया उसके जीवन काल में ही फौत हो गया था इसलिये विवादित आराजी गोरया के बाद मृतक मोहरपाल व उसके भाईयों के नाम दर्ज हुई थी। उक्त कथन को साबित करने के लिये पूर्ण रिकार्ड व सजरा पेश नही किया है। अपीलान्ट को न्याय हित में संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिये अवसर दिया जाना उचित समझते हैं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि विवादित आराजी पैत्रिक है या स्व–अर्जित। हम प्रकरण को अधीनस्थ न्यायलाय में जॉच कर पुनः निर्णय के लिये रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामान्तरकरण संख्या 336 दिनांक 24.07.86 एवं उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर का निर्णय दिनांक 25.11.2014 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार स0मा0 को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य लेकर एवं वारिसान की जॉच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.10.2018 को उपस्थित हों।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official